रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082021-229102
CG-DL-E-18082021-229102

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 18, 2021/श्रावण 27, 1943
No. 346] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 18, 2021/SHRAVANA 27, 1943

भारतीय उपचर्या परिषद्

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2021

फा. सं. 18–12/3277–आईएनसीः.—समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :–

जबकि, **शहीद भगत सिंह स्कूल ऑफ नर्सिंग, महेंद्र अस्पताल परिसर, यमुनानगर–135001 (हरियाणा)** हरियाणा राज्य सरकार तथा हरियाणा नर्सेज एंड नर्स–मिडवाइव्स काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार, कमरा संख्या 102, प्रथम तल, नया हरियाणा सचिवालय भवन, सैक्टर–17, चण्डीगढ़–160017 को संबोधित नोटिस संख्या 18–12/3277–आईएनसी दिनांक 09.10.2019 को जारी किया गया था। दिनांक 09.10.2019 को जारी नोटिस की एक प्रति **शहीद भगत सिंह स्कूल ऑफ नर्सिंग, महेंद्र अस्पताल परिसर, यमुनानगर–135001, हरियाणा** को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, शहीद भगत सिंह स्कूल ऑफ नर्सिंग, हरियाणा के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार से कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। और संस्था यानी शहीद भगत सिंह स्कूल ऑफ नर्सिंग ने भी जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 के तहत वैधानिक निरीक्षण कराने से इनकार किया जाना एक गंभीर मुद्दा है। केवल निरीक्षणों के आधार पर ही परिषद् नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के बारे में निर्णय लेने की स्थिति में होती है। निरीक्षण से इनकार करने का वास्तविक अर्थ यह होगा कि संस्थान के पास अपेक्षित शैक्षणिक, नैदानिक या संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

अतः, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 19.06.2021 से **शहीद भगत सिंह स्कूल ऑफ नर्सिंग, महेंद्र अस्पताल परिसर, यमुनानगर–135001, हरियाणा** से एएनएम और जीएनएम मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति केवल **हरियाणा राज्य** में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./210/21]

INDIAN NURSING COUNCIL

ORDER

New Delhi, the 18th August, 2021

F.No. 18-12/3277-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Shaheed Bhagat Singh School of Nursing** situated at **Campus – Mahendra Hospital, Yamunanagar – 135001, Haryana** is recognized by State Government of Haryana and Haryana Nurses and Nurse-Midwives Council.

Whereas, a notice no. 18-12/3277-INC dated 09/10/2019 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to Principal Secretary, Department of Health and Family Welfare, Government of Haryana, R.No. 102, 1st Floor, New Haryana Secretariat Building, Sec – 17, Chandigarh – 160017 was issued. Copy of the notice dated 09/10/2019 was also enclosed to **Shaheed Bhagat Singh School of Nursing** situated at **Campus – Mahendra Hospital, Yamunanagar – 135001, Haryana**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of Shaheed Bhagat Singh School of Nursing, Haryana. Even the institution Shaheed Bhagat Singh School of Nursing has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Refusal for statutory inspection under section 13 of Indian Nursing Council Act 1947 is a serious issue. It is on the basis of inspections only that the Council would be in a position to decide about the suitability of the nursing institution to conduct nursing courses. Refusal for inspection would ipso facto mean that the institution does not possess the requisite Teaching, Clinical or infrastructural facilities.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3)(b) of the Indian Nursing Council Act, 1947 declares that with effect from 19/06/2021 any person holding a recognized qualification of ANM and GNM from **Shaheed Bhagat Singh School of Nursing** situated at **Campus – Mahendra Hospital, Yamunanagar – 135001, Haryana** shall be entitled to be registered only in the State of **Haryana**.

Lt. Col (Dr.) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./210/21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.08.18 20:24:27 +05'30'